

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - वितीडगढ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिबिर 2025 कैम्प स्थल - शोळिया.....)



धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 215/25.....

दापर दिनांक 8.7.9.2025.....

निर्णय दिनांक 27.07.25

रिपोर्ट

क्र.सं.	नाम-ग्राम	खान	सिपोर्ट		कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	<u>शोळिया</u>	<u>180</u>	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ़ वीकनर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ़ वीकनर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टी</p> <p>स्टेट बैंक ऑफ़ वीकनर एण्ड जयपुर</p> <p>शुद्ध प्रविष्टी</p> <p>स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया</p>		<p>कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश</p> <p>तहसीलदार कपासन की अनुशंका स्वीकार की जाकर राज.भू.सं.अधि.1956 की धारा 136 के अधीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>शोळिया</u>..... प.ह. <u>शोळिया</u>..... खालास <u>180</u>..... में वर्तमान प्रविष्ट स्टेट बैंक ऑफ़ वीकनर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दशमद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p>
	प्रतिनिधि पालनाथ:-	हस्ताक्षर प्रदाता	हस्ताक्षर पिरदावर	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार	पदेन सहायक कलक्टर कपासन

1. पटवारी पटवार मण्डल शोळिया..... को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदशमद करें।

सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
कपासन जिला-वितीडगढ

तहसीलदार कपासन